न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, *आई.ए.एस.*

आर्म्स अपील संख्या 06/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
सूरज पुत्र ताराचन्द मेघवाल, निवासी– ग्राम नाडसर, तहसील भोपालगढ, जोधपुर		कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 01.08.2019 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट जोधपुर ने अपीलाण्ट को नया शस्त्र 12 बोर गन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन को निरस्त कर दिया।

उपस्थितिः––

1. श्री मोहनलाल व भवानी जयपाल, अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2.श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक जनवरी, 2021

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट जोधपुर के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से नया शस्त्र 12 बोर गन लेने हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये दिनांक 02.5.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने अपीलान्ट के उक्त आवेदन पत्र को दिनांक 01.08.2019 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने दोनों पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट जोधपुर के

समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के ग्राम नाडसर में खेतीबाडी का काम–काज रहता है जिसके कारण उसे कई बार बडी रकम की राशि ले जानी व लानी पडती है एवं खेत की रखवाली एवं जंगली जानवरो से स्वयं की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता है। इस हेतु उसे नया शस्त्र 12 बोरगन क्रय करने का अनुज्ञापत्र जारी करावे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के उक्त आवेदन पर जिला कार्यालय की ओर से कार्यालय उप वन सरंक्षक, वन्यजीव जोधपुर तथा जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जोधपुर से जॉच करवाई गई। उप वन संरक्षक वन्यजीव कार्यालय द्वारा अपनी सकारात्मक रिपोर्ट में यह अंकित किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का वन्य जीव/ वन अपराध का पिछले 10 सालों में कोई अपराध नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा भी दिनांक 31.5.2017 को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया था कि अपीलार्थी को कृषि कार्य हेतु फसल रखवाली के लिये नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे तो इस कार्यालय को कोई आपप्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की स्वास्थ्य की जॉच में भी पूर्ण स्वस्थ पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में जिला आरमोरर वर्कशॉप से 12 बोर गन के बारे में पूर्ण जानकारी व शस्त्र संचालन का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया हुआ है। उक्त दोनों कार्यालयों की जॉच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर में प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र के आवेदन को बिना किसी ठोस आधार के मात्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अपीलान्ट को आत्मरक्षा हेतु जान के गंभीर खतरे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अपीलान्ट ने अपने आवेदन में ही यह अंकित कर दिया था उसे अपने खेत की रखवाली के लिये एवं जंगली जानवरों से रक्षा हेतु 12 बोर गन की आवश्यकता है। इसके उपरान्त भी जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 1.8.2019 द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को बिना किसी ठोस आधार पर खारिज कर दिया जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट को शस्त्र चलाने का अनुभव है जिसका प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारीशुदा है। अपीलान्ट पर पूर्व में किसी भी स्तर पर कोई भी मुकदमा दर्ज नही है और न अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति रहा है जिससे किसी को जान माल का खतरा बना हो। इसके अलावा कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर द्वारा दिनांक 31.5.2017 को प्रेषित की गई

टिप्पणी में प्रार्थी को 12 बोरगन क्रय करने हेतु अनुमति जारी करने हेतु अनापत्ति जाहिर की है तथा यह भी वर्णित किया है कि आवेदन को कृषि कार्य हेतु फसल रखवाली के लिये नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाये तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में ऐसा कोई स्पीकिंग आदेश भी पारित नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो को अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश को दिनांक 1.8.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को नया शस्त्र अनुज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा विभागीय परिपत्रों एवं आर्म्स अधिनियम के तहत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण ही अपीलान्ट के द्वारा 12 बोरगन क्रय करने हेतु अपने आवेदन में उल्लेखित किये गये कारणों को यानि आत्मरक्षा हेतु जान को गंभीर खतरे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज नहीं होने तथा दस्तावेज संलग्न नहीं करने के कारण ही अपीलान्ट के आवेदन को खारिज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2019 को पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को निरस्त किया जावें।

हमने पक्षकारान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के द्वारा प्रेषित की गई विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपीलान्ट के द्वारा अपनी आत्म रक्षार्थ तथा मवेशी व फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तथ्य अंकित किये गये है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जिला कार्यालय में संस्थित की गई पत्रावली में अपीलान्ट के आवेदन के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपने पत्रांक 31.5.2017 में भी ''आवेदक को कृषि कार्य हेतु फसल रखवाली के लिये नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाये तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।'' उप वन संरक्षक कार्यालय जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिये अपनी सकारात्मक टिप्पणी प्रेषित की है। जिला कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों/जॉच रिपोर्ट के अवलोकन करने व कथनों पर मनन

करने के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को नया शस्त्र 12 बोरगन क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2019 को निरस्त कर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर को इस निर्देश के साथ के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट के आवेदन में अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अंकित किये गये तथ्यों/कारणों का विधिवत आंकलन करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 19 जनवरी, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर